दिनांक 02.05.2024
प्रेस विज्ञप्ति 02/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद कानपुर देहात/थाना अकबरपुर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **27 हजार 700 रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, 02 आधार कार्ड आदि**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल बरामद**

दिनांक 02.05.2024 को थाना अकबरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर आलमचन्दपुर नगर बम्बा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त मोहम्मद मोनिश घायल हो गया, जिसे अभियुक्त महेन्द्र सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से 27 हजार 700 रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, 02 आधार कार्ड आदि, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमे अभियुक्त मोहम्मद मोनिश के विरूद्ध जनपद कानपुर देहात, चन्दौली, मुरादाबाद, सम्भल, बदायूं, बुलन्दशहर, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, सीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है, गिरफ्तार अभियुक्त मोहम्मद मोनिश थाना अकबरपुर पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना अकबरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मोहम्मद मोनिश निवासी मोहल्ला कुरैशियन थावला थाना बिलारी जनपद मुरादाबाद।

2–महेन्द्र निवासी दौलतपुरा बून्दी रामनगर राजस्थान।

बरामदगी

1–27 हजार 700 रूपये नगद।

2–02 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, 02 आधार कार्ड आदि।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

4–01 मोटर साइकिल।

जनपद हापुड़/थाना हापुड़ देहात

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 02.05.2024 को थाना हापुड़ देहात व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ददायरा फाटक के पास पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त कपिल कुमार उर्फ रावण घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को इलाज हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना बसन्त बिहार जनपद देहरादून, उत्तराखण्ड पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु उत्तराखण्ड से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना हापुड़ देहात पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—कपिल कुमार उर्फ रावण निवासी ग्राम नियामु थाना चरथावल जनपद मुजफ्फरनगर।

बरामदगी

1—चोरी की 01 मोटर साइकिल।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मथुरा/थाना कोतवाली

- **पुलिस कार्यवाही में 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के आभूषण**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद**

दिनांक 01.05.2024 को थाना कोतवाली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एनएच—19 अलवर बाजार पुल के पास मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त राजू घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के आभूषण, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर) बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मथुरा, कमिश्नरेट आगरा व राजस्थान प्रान्त के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 32 अभियोग पंजीकृत है, गिरफ्तार अभियुक्त थाना हाईवे पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 20 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राजू निवासी नगला बूडी थाना न्यू आगरा कमिश्नरेट आगरा।

बरामदगी

1—लगभग 10 लाख रूपये कीमत के चोरी के आभूषण।

2—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर)।

- **जनपद इटावा/थाना फ्रेंड्स कॉलोनी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 30—30 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना फ्रेंड्स कॉलोनी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/120बी/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1—आदित्य 2—अभियुक्ता को आजीवन कारावास व 30—30 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद फतेहपुर/थाना किशनपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद फतेहपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद फतेहपुर द्वारा थाना किशनपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 304 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त शशी प्रकाश को आजीवन कारावास व 50 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद बदायूँ/थाना अलापुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बदायूँ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बदायूँ द्वारा थाना अलापुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5ड/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त चाँद बाबू को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 25 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना पचदेवरा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 06 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना पचदेवरा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 307/34/504/506 भादवि के अन्तर्गत 03 अभियुक्तों 1–अजयवीर 2–भवानी 3–कुरिन्द्र को 07 वर्ष के सश्रम कारावास व 06 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद चन्दौली (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 04 करोड़ 10 लाख रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)</u>**

जनपद चन्दौली पुलिस ने अभियुक्त आलोक त्रिवेदी पुत्र स्व0 संजय त्रिवेदी निवासी ग्राम मुठानी थाना मोहनियाँ जनपद कैमूर बिहार, हालपता सत्यम नगर कॉलोनी थाना लंका कमिश्नरेट वाराणसी द्वारा अपनी पत्नी के नाम पर अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 04 करोड़ 10 लाख रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही अमल में लायी गयी।

<u>एसटीएफः मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 की एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करके भ्रामक तथ्य फैलाकर राष्ट्र विरोधी तत्वों को बल देने वाला श्याम किशोर गिरफ्तार।</u>

दिनाक 02–05–2024 को एसटीएफ उत्तर प्रदेश को मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 की एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करके भ्रामक तथ्य फैलाकर राष्ट्र विरोधी तत्वों को बल देने वाले श्याम किशोर गुप्ता को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>अभियुक्त का विवरणः-</u>

श्याम किशोर गुप्ता पुत्र राधे श्याम गुप्ता निवासी मो0 मिश्रना हाथीपुर उत्तरी, थाना सदर जनपद लखीमपुरी खीरी हाल पता– दुर्गा पब्लिक स्कूल के निकट श्याम लाल कालोनी बरोला थाना सेक्टर–49 नोएडा, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी-

1- 01 अदद मोबाइल फोन।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक, समयः-

दिनाँक 02-05-2024, समय 06.00 बजे, स्थान-श्याम लाल कालोनी, कल्यानकुंज बरोला थाना सेक्टर 49 जनपद गौतमबुद्धनगर क्षेत्र।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 01-05-2024 को मा0 मुख्यमंत्री जी उ0प्र0 की एआई जनरेटेड डीप फेक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करके भ्रामक तथ्य फैलाकर राष्ट्र विरोधी तत्वों को बल देने का एक वीडियो @shyamguptarpswa Twitter एकाउण्ट से पोस्ट किया गया था, जिससे आम जनमानस में भ्रम एवं आक्रोश परिलक्षित हो रहा था। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 उ0प्र0 के उच्चाधिकारियों द्वारा अभिसूचना संकलन कर आवश्यक कार्यवाही हेतु एस0टी0एफ0 नोएडा इकाई को निर्देशित किया गया। जिसके क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के निर्देशन एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार, एसटीएफ फील्ड यूनिट नोएडा द्वारा गहनता से अभिसूचना संकलित किये जाने के उपरान्त दिनांक 01-05-2024 को उप निरीक्षक श्री दीपक कुमार द्वारा थाना साईबर क्राईम गौतमबुद्धनगर पर मु0अ0सं0 27/2024 धारा 468, 505(2) भादवि एवं 66 आई0टी0 एक्ट का अभियोग पंजीकृत कराया गया।

उपरोक्त अभियोग के दौरान उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर उक्त एआई जनरेटेड डीप फेक विडियो श्याम किशोर गुप्ता निवासी श्याम लाल कालोनी, कल्याणकुंज बरोला गौतमबुद्धनगर के द्वारा अपने ट्यूटर एकाउन्ट से सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाना प्रकाष में आया। तदोपरान्त एस0टी0एफ0 नोएडा एवं थाना साईबर क्राईम गौतमबुद्धनगर की संयुक्त कार्यवाही में मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त श्याम किशोर गुप्ता, उक्त को दिनांक 02-05-2024 को समयः करीब 06.00 बजे उक्त स्थल से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त श्याम किशोर गुप्ता ने पूछताछ पर बताया कि वह मूलरूप से जनपद लखीमपुर खीरी का रहने वाला है परन्तु काफी समय से वह बरोला, थाना सेक्टर 49 जनपद गौतमबुद्धनगर में रह रहा है। अभियुक्त श्याम किशोर गुप्ता ने पूछताछ पर यह भी बताया कि दिनांक 01–05–2024 को उसने अपने Twitter आई0डी0 @shyamguptarpswa से एक एआई जनरेटेड फेक वीडियो माननीय मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0 के सम्बन्ध में सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया था।

अभियुक्त श्याम किशोर गुप्ता के विरूद्ध थाना साईबर क्राईम नोएडा पर मु0अ0सं0 27/24 धारा 468, 505(2) भादवि एवं 66 आईटी एक्ट का अभियोग दर्ज कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही थाना साईबर क्राईम नोएडा द्वारा की जा रही है।

एसटीएफः घूमन्तु जनजाति (पारदी) गिरोह का सक्रिय सदस्य व रू0 20,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार।

उत्तर प्रदेश एसटीएफ को दिनांक 01–05–2024 को थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद क्षेत्र में सर्राफा दुकान के शटर को तोड़कर की गई चोरी के मु0अ0सं0 16/24 धारा 457/380/411 भादवि में वांछित घूमन्तु जनजाति पारदी गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं रू0 20,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी कोहिनूर को गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई ।

अभियुक्त का विवरणः–

कोहिनूर पुत्र धर्म सिंह निवासी ग्राम कनेरा थाना झागर जनपद गुना, मध्य प्रदेश।

बरामदगी–

1– 310 ग्राम चॉदी के जेवरात, सिक्का एवं बर्तन (जो अभियोग से सम्बन्धित है)

2– 01 अदद कन्ट्रीमेड पिस्टल

3– 01 अदद जिन्द एवं खोखा कारतूस 315 बोर ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनाँक, समयः–

दिनाँक 01–05–2024, समय 22.15 बजे, बंद फाटक के पास थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद क्षेत्र ।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। इसी क्रम में श्री राज कुमार मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, नोएडा के निर्देशन एवं श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री सचिन कुमार, एसटीएफ फील्ड इकाई, नोएडा द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान एसटीएफ गौतमबुद्धनगर को दि0 01–05–2024 को सूचना प्राप्त हुई कि घुमन्तू पारदी जनजाति गिरोह का सक्रिय सदस्य एवं थाना लोनी बॉर्डर, गाजियाबाद के मु0अ0सं0 16/24 धारा 457/380/411 भादवि के अभियोग में वांछित रू0 20,000/– का पुरस्कार घोषित अपराधी कोहिनूर लोनी क्षेत्र में आया हुआ है। इस सूचना को विकसित करने के उपरान्त एसटीएफ नोएडा की टीम द्वारा तत्परतापूर्वक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए थाना लोनी बार्डर गाजियाबाद की पुलिस के सहयोग से अभियुक्त कोहिनूर पारदी, उपरोक्त को मुठभेड के पश्चात उक्त स्थल से गिरफ्तार कर लिया गया, जिससे उपरोक्त बरामदी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त कोहिनूर पारदी ने पूछताछ पर बताया कि वह मूलरूप से ग्राम कलेरा थाना झागर जनपद गुना मध्य प्रदेश का रहने वाला है तथा पारदी जनजाति का है, इस जनजाति के लोग देश भर में घूम–घूमकर शहरों में डेरे डालकर रहते है। इस गिरोह के लोग रात में मकानों की ग्रिल काटकर तथा दुकानो के शटर तोडकर चोरी की वारदात करते हैं और जाग हो जाने अथवा विरोध होने पर हमला करके गृह स्वामियों को घायल भी कर देते है। एक स्थान पर वारदात करने के पश्चात दूसरे शहर में चले जाते है।

माह जनवरी– 2024 में इस गिरोह के लोग दिल्ली में फ्लाई ओवर के नीचे डेरा डाले हुए थे तब दिनांक 10–01–2024 को गिरोह के सभी सदस्यों ने थाना क्षेत्र लोनी बॉडर गाजियाबाद के बेहटा स्थित सन्टू, सोनू, ज्वैलर्स की दुकान का शटर तोडकर दुकान में रखे जेवरात की चोरी किये थे। इस घटना के सम्बन्ध में थाना लोनी बॉर्डर

गाजियाबाद पर मु0अ0स0 16/24 धारा 457/380/411 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ है और इसी अभियोग में अभियुक्त कोहिनूर पारदी वांछित चल रहा था। इस घटना के बाद सभी लोग अन्य शहरों में चले गये थे। इससे पूर्व वह नकबजनी और चोरी के अभियोग में गुना मध्य प्रदेश के विभिन्न थानों से 02 बार जेल जा चुका है। पूछताछ में यह भी प्रकाश में आया है कि इस गैंग द्वारा पिछले 06 माह में पंजाब, राजस्थान, दिल्ली–एनसीआर के विभिन्न स्थानों पर शटर तोड़कर व घरों में नकबजनी की विभिन्न घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसके सम्बन्ध में जानकारी की जा रही है।

<u>अभियुक्त कोहिनूर, उपरोक्त के विरूद्ध निम्न अभियोगों का पंजीकृत होना ज्ञात हुआ है–ः</u>

क्र0सं0	मु0अ0सं0	धारा	नाम थाना	जनपद
1	313/17	147/148/149/307 भादवि एवं 25 आर्म्स एक्ट	धरनावदा	गुना मध्य प्रदेश
2	197/18	380/457 भादवि	अरोन	गुना मध्य प्रदेश
3	241/18	394 भादवि	गुना	मध्य प्रदेश
4	375/19	147/148/149/294/323/324 भादवि	धरनावदा	गुना मध्य प्रदेश
5	01/20	379 भादवि	गुना	मध्य प्रदेश
6	192/20	395/412 भादवि	फतेहगढ गुना	मध्य प्रदेश
7	284/20	380/457 भादवि	धरनावदा	गुना मध्य प्रदेश
8	450/20	457/380 भादवि	धरनावदा	गुना मध्य प्रदेश
9	33/22	379 भादवि	अरोन	गुना मध्य प्रदेश
10	16/24	457/380/411 भादवि	लोनी बॉर्डर	गाजियाबाद
11	267/24	307 भादवि एवं 3/25 आर्म्स एक्ट	लोनी बार्डर	गाजियाबाद

गिरफ्तार अभियुक्त कोहिनूर उपरोक्त को थाना लोनी बॉडर गाजियाबाद के मु0अ0सं0ः 267/24 धारा 307 भादवि एवं 3/25 आर्म्स एक्ट के अभियोग में दाखिल कर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

––––––